फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 26.02.2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अली अहमद पुत्र नामे अली 2. मो0 हनीफ पुत्र स्व0 नजीर अहमद 3. सुहेब पुत्र सहजादे खाँ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अली अहमद पुत्र नामे अली निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर कस्बा व थाना गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी।

2. मो0 हनीफ पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी शिवपुरी थाना गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी।
3. सुहेब पुत्र सहजादे खाँ निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी।

घटना का विवरण :- वादी आरिफ हुसैन पुत्र कवीर निवासी ग्राम समाउद्दीनपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 20/21.02.2025 की रात्रि को ग्राम समाउद्दीनपुर मे मुस्तफा मस्जिद की गुल्लक को अज्ञात चोरो द्वारा चुरा कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अली अहमद पुत्र नामे अली 2. मो0 हनीफ पुत्र स्व0 नजीर अहमद 3. सुहेब पुत्र सहजादे खाँ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अली अहमद पुत्र नामे अली ने बताया ग्राम समाउद्दीनपुर में करीब 01 वर्ष से मुस्तफा जामा मस्जिद में नमाज पढाने का काम करता था। मस्जिद में दान पेटी रखी थी दिनांक 11.02.2025 को अभियुक्त काम छोड़कर अपने गांव चला गया था। अभियुक्त नें अपने साथी 1. मो0 हनीफ व 2. सुहेब को दान पेटी के संबंध में बताया और तीनों अभियुक्तगण नें दिनांक 20/21.02.2025 की रात्रि में हनीफ की वैगनआर कार से ग्राम समाउद्दीनपुर की मस्जिद में रखी दान पेटी को चोरी कर ले गये और घर जाकर दान पेटी को काटकर पैसा निकालकर आपस में बांट लिया था। अली अहमद तथा सुहेब ने 60-60 हजार रूपये लिये तथा मो0 हनीफ को 01 लाख रूपये दिये थे।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद दानपेटी लोहे की
2. 02 लाख 20 हजार रूपये नगद
3. 01 अदद वैगनआर कार रंग लाल नं0 UP 80 KL 5584

अभियुक्त अली अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कम्पिल।

अभियुक्त मो0 हनीफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कम्पिल।

अभियुक्त सुहेब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष विश्वनाथ आर्या
2. उ0नि0 उदयवीर सिंह
3. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह
4. हे0का0 सुनील कुमार
5. का0 मुन्वेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 26.02.2025

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग को शादी के उद्देश्य से भगा ले जाने वाले नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण,**श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज** श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.01.2025 को थाना कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 15/2025 धारा- 137(2)/87 बी0एन0एस में नामजद अभियुक्त शिवम पुत्र विष्णु दयाल निवासी ग्राम अजमतपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद को दिनांक 25.02.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शिवम पुत्र विष्णु दयाल निवासी ग्राम अजमतपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रा0पत्र वावत अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-15/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम

शिवम पुत्र विष्णु दयाल निवासी ग्राम अजमतपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अपहर्ता उपरोक्त को म0का0 की सुपुर्दगी में लेकर नामजद अभियुक्त शिवम पुत्र विष्णु दयाल उपरोक्त को दिनांक 25.02.2025 को समय करीब 19.15 बजे गिरफ्तार कर पीडिता उपरोक्त के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व अन्य विधिक कार्यवाही के आधार पर जिला कारागार फतेहगढ़ भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रहा है।

अभियुक्त शिवम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –:-

- मु0अ0सं0 0015/2025 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस थाना कायमगंज, जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीमः-

1. उ0न0 जितेन्द्र कुमार
2. म0का0 अंकिता

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।